

विज्ञापन संख्या :-01/2021

निविदा सूचना।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर स्थित युटिलिटी/ प्रशासनिक भवन के कुल 10 दुकानों (निम्न वर्णित) का आवंटन किया जाना है। युटिलिटी भवन के कुल 10 दुकानों को एकरारनामा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह की अवधि के लिए आवंटित किया जाना है। एकरारनामाकर्ता को अकादमी द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता को पूर्ण करने की स्थिति में आवंटन अवधि में अधिकतम दो बार 11-11 माह के लिए विस्तार करने का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा हेतु दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है :-


क्र०सं०	दुकान संख्या	दुकान का प्रकार	दुकान का क्षेत्रफल	किराया
01	01	किराना दुकान	12X21= 252 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 2772 /-रू०
02	02	मोबाईल तथा संबंधित पार्टस की दुकान	11X08=88 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 968 /-रू०
03	03	मेडिकल स्टोर्स	10X08=80 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 880 /-रू०
04	04	टेलरिंग दुकान	10X10=100 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 1100 /-रू०
05	05	फल एवं जूस दुकान	11X09=99 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 1089 /-रू०
06	06	पुलिस वर्दी युनिफार्म सामग्री स्टोर्स	22X20=440 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 4840 /-रू०
07	07	फोटो एवं विडियोग्राफी दुकान	20X11=220 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 2420 /-रू०
08	08	गिफ्ट सामानों की दुकान	23X17=391 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 4301 /-रू०
09	09	लेडिज हेयर कटिंग सैलून	23X17= 391 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 4301 /-रू०
10	10	कैंटीन प्रशासनिक भवन	13X25=325 वर्ग फीट	11 /- रू० प्रति वर्ग फीट की दर से 3,575 /-रू०

निविदा डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया :-

01	निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	01.03.2021 को 17:00 बजे तक ।
02	तकनिकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	03.03.2021 को 11:00 बजे
03	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	03.03.2021 को 14:00 बजे

1. उक्त दुकान ग्यारह माह के अवधि हेतु आवंटित की जायेगी।
2. दिनांक-01.03.2021 के 17:00 बजे तक बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

- निविदा खोलने की तिथि को संबंधित निविदाकर्ता 11:00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे ।
4. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता, निविदा खोलने की तिथि को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्वयं उपस्थित रहेंगे अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं, जो अपना पहचान पत्र भी साथ में रखेंगे ।
 5. निविदा प्रपत्र की राशि एवं जमानत की राशि की डी0डी0, पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के नाम भुगतें हो। पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने/स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। यह निविदा सूचना एवं नियमावली अकादमी के वेबसाइट www.bpa.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
 6. आवेदक को दो अलग-अलग बन्द लिफाफा में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड डालकर एक बड़ा लिफाफा में अपना आवेदन बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के आगत/ निर्गत शाखा में जमा करना होगा।
 7. तकनीकी बिड में सफल होने वाले उम्मीदवार का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा ।
 8. निविदा में भाग लेने वाले उम्मीदवार निविदा खोलने की तिथि को एक इस आशय का शपथ-पत्र नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपने साथ लायेंगे कि उन्हें पूर्व में अपनी सेवा देने के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है ।


6/2/2021
पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर की परिसम्पति का अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु
निविदा

लिफाफा नं०-1 प्रपत्र 'क'

आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. दुकान संख्या एवं प्रकार
(जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :
(व्यक्ति/एंजेसी/फर्म इंडिभिजुअल:
संबंधित कागजान की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान एवं स्थाई पता :
(दूरभाष सहित)
5. अनुभव/दक्षता :

पासपोर्ट साईज
एक फोटो

आवंटन की शर्त (तकनिकि बिड):-


1. सभी निविदाकर्ता को प्रपत्र के साथ दुकान/प्रतिष्ठान का जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST का अद्यतन छायाप्रति, पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता को पूर्व सरकारी प्रतिष्ठानों/ गैर सरकारी प्रतिष्ठान में सप्लाय/कार्य करने का अनुभव के बारे में देना चाहिए जो प्रपत्र की कंडिका-5 में भरें (अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
3. निविदाकर्ता को आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षों का लगाना होगा।
4. निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को 1,000/- (एक हजार) (Non-refundable) रूपये का पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को भुगतये बैंक ड्राफ्ट जो राजगीर स्थित किसी बैंक में भुगतान किया जा सके, जमा करना होगा।
5. फुड लाइसेंस प्रमाण पत्र की छायाप्रति(खाद्य-पदार्थ से संबंधित दुकानों के लिए)
6. निविदाकर्ता का अन्डरटैकिंग :

- मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्तें अच्छी तरह पढ़नें/समझने के उपरांत यह आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार आवंटित दुकान की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। निविदा में किसी स्तर पर गलत पाये जाने पर अकादमी यथोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

र पुलिस अकादमी, राजगीर परिसर में स्थित युटिलिटी/ प्रशासनिक भवन के दुकानों के अवटन की क्रिया एवं शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. दुकान लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार को विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र/प्रपत्र बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र/प्रपत्र अकादमी के वेबसाइट www.bpa.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदन के साथ मो0 5000/- (पांच हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के पदनाम से राजगीर स्थित किसी भी बैंक शाखा में भुगतये होगा जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ-साथ आवेदनकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नं0 लिखा हुआ लिफाफा, आवेदन के साथ जमा करना होगा।
3. आवंटित किये जाने वाले कुल-10(दस) दुकानों की संख्या एवं साइज(वर्ग फीट में) से संबंधित विवरणी पृष्ठ-01(एक) पर दृष्टव है।
4. दुकान का आवंटन तकनीकी एवं वित्तीय विड के आधार पर किया जायेगा। किराये की राशि का सुरक्षित जमा 11/- (ग्यारह) रुपये मात्र प्रति वर्ग फीट होगा। जिन निविदाकर्ता को दुकान का आवंटन नहीं हो सकेगा उनकी 5,000/- रु0 की राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
5. दुकान आवंटित होने पर प्रत्येक दुकान के लिए 02(दो) माह के किराया के बराबर राशि अग्रिम के रूप में ली जायेगी।
6. दुकान में बिजली उपभोग हेतु राशि सब-मीटर के आधार पर देय होगा।
7. दुकान आवंटित हो जाने के उपरांत यदि आवेदक द्वारा दुकान लेने से अनिच्छा दिखाई जाती है तो अग्रिम (जमानत) राशि नहीं दी जायेगी एवं उसे जब्त कर लिया जायेगा।
8. दुकान आवंटित होते ही अग्रिम राशि पारा 5 के अनुसार आवंटित किये गये दुकान अनुसार आवेदक को जमा करना होगा। अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
9. मासिक किराया की गणना अग्रेजी कैलेंडर की पहली तिथि से अन्तिम तिथि तक की जायेगी।
10. प्रत्येक माह के 05 तारिख तक किराये की राशि जमा करना होगा।
11. आवंटनधारी को दुकान दखल में तभी दिया जायेगा जबकि वह निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा कर लेगा। जिसका स्टॉप आदि का खर्च उन्हें स्वयं वहन करना होगा। एकरारनामा के लिए निर्धारित तिथि तक एकरारनामा नहीं करने पर अग्रिम जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
12. निविदाकर्ता तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड खोले जाने की निर्धारित तिथि व समय को निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि उनके समक्ष तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड खोला जा सकें।


पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।